

रा.मु. उदयपुर

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

अज अदालत

नियम 26)
क्यायालय अति. जिला कलक्टर दीसा
मुकाम

सरकार बनाम रामसहाय वगैरा

किस्म मुकदमा

रैफरेंस

नं.

30

सन्

2015

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

9-10-17

राजसिंह अफिमन्ता इपाम्किता पञ्जवली का
अवेलेमन किया गया। तामील मुनिदा की रिपोर्ट
से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में अपराधी
रामसहाय पुत्र सौम्य मीना की मृत्यु हो चुकी है।
जिसके कायम मुकाम की पूजा भी प्राप्त नहीं हुई
है। यह अफिमन्ता के विकरु रेफरेंस प्रमाणपत्र
पर लगे जाने का अंगित्व नहीं है। अतः प्रकरण
तद्वर्गीकरण नोंगल राजावतान जिना दी जा का
शिमाण्ड कर निरदिष्ट किया जा रहा है कि अपराधी
के कायम मुकाम की जांच कर संशोधित राइटर
एवं आवेदन कोडेय जिसके विकरु रेफरेंस
प्रस्तुत किया गया है की प्रमाणित प्राप्ति एवं वर्तमान
जमाने की तद्विषय रेफरेंस संबंधित न्यायालय के
प्रस्तुत करें।